o. PVD6-RIPSDSERVS/2SEB2/2-XXX0-26-PCXX6-ReRsanohMigiland cVigDlapaetrDepaRame(h1)-Pa(r1)puter No.
I/193325/2024

I/193325/2024

उत्तराखण्ड शासन
सू0 प्रौ0,सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03
संख्याः I/ 193325 /E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21 T.C
देहरादून, दिनांकः 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त/सेवारत राजकीय कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) को ऐलोपैथी एवं आयुष पद्धति (आयुर्वेदिक/सिद्धा/नैचुरोपैथी एवं यूनानी पद्धति सम्मिलित) से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्सकीय सुविधा/लाभ प्रदान करने हेतु संचालित **State Government Health Scheme (SGHS)** के अन्तर्गत बीजकों के भुगतान हेतु विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः–

(1) उत्तराखण्ड के समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवायें :–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय – सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	गोल्डन कार्ड योजना **(SGHS)** के अन्तर्गत कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों/मेड़िकल बिलों को ऐलोपैथी पद्धति से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्साधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आयुष पद्धति से उपचार की दशा में निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी/सिद्धा/नेचुरोपैथी को प्रेषित कराना (जैसी भी स्थिति हो)	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी	05 दिवस	कार्यालयाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	चिकित्साधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी/सिद्धा/नेचुरोपैथी से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित मेडिकल बिलों पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही करना (जैसी भी स्थिति हो)				
	(च) रू0 1,50,000 तक	कार्यालयाध्यक्ष	10 दिवस	संयुक्त/अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय – सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
2	(छ) रू0 1,50,000 से अधिक एवं रू0 5,00,000 तक	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो	10 दिवस	शासन में प्रशासनिक विभाग का अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
	(ज) रू0 5,00,000 से अधिक	शासन में प्रशासनिक विभाग के अपर सचिव	10 दिवस	सचिव / प्रमुख सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	गोल्डन कार्ड योजना **(SGHS)** के तहत स्वीकृत मेडिकल बिलों को भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑनलाईन प्रेषित करना	विभाग का आहरण –वितरण अधिकारी /अपर निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)	07 दिवस	संयुक्त / अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सेवायें:–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक /पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	जिला / उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / इस हेतु नामित अधिकारी।	1. शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तो (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्साप्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि– 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AI

I/193325/2024

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
2	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख से अधिक एवं रू0 3.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल।	1. शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – **10 दिवस**। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – **30 दिवस**।	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के धनराशि रू0 3.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – **10 दिवस**। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03. 2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें दावा प्राप्ति के निम्न समयावधि अनुसार परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। • धनराशि रू0 3.00 से अधिक एवं रू0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – **40 दिवस** • धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – **55 दिवस** • रू0 10.00 लाख से अधिक तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – **70 दिवस**	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

/193325/2024

(3) (क) आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/सिद्धा/नैचुरोपैथी एवं यूनानी सेवायें विभाग से सम्बन्धित सेवायें:—

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय—सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	कार्यालयाध्यक्ष/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि — 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा—निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि — 30 दिवस।	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख से अधिक एवं रू0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	विभागाध्यक्ष आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि — 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा—निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि — 30 दिवस।	प्रशासकीय विभाग के अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

I/193325/2024

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
3	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	प्रशासकीय विभाग के अपर सचिव	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांकः 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	प्रशासकीय विभाग के सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(3) (ख) आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक सेवायें विभाग से सम्बन्धित सेवायें:–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का तकनीकी परीक्षण एवं अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना	उप निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांकः 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5
Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

/193325/2024

(4) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से सम्बन्धित सेवाः–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना **(SGHS)** के तहत विभाग से प्राप्त मेडिकल बिलों पर भुगतान की कार्यवाही करना।	वरिष्ठ प्रबन्धक / प्रबन्धक	15 दिवस	निदेशक (क्लेम मैनेजमेंट)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से की जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

Signed by Ashish Kumar Srivastava
Date: 23-02-2024 17:02:12
(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव,

संख्याः I/ 193325/E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21 T.C तद् दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. मीडिया सेन्टर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव
Date: 23-02-2024 17:25:31

6
Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM